




INTERNATIONAL
RANGER
FEDERATION

संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र रेंजर्स कन्वेंशन

रेंजर के रोजगार और काम की स्थितियों के लिए वैश्विक मानक

इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन और यूनिवर्सल
रेंजर सपोर्ट एलायंस द्वारा प्रस्तावित और समर्थित



इनके द्वारा समर्थित है

URSA
UNIVERSAL RANGER SUPPORT ALLIANCE

यूनिवर्सल रेंजर सपोर्ट एलायंस (URSA)

URSA संरक्षण संगठनों का एक गठबंधन है जो इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन का समर्थन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है ताकि एक सहायक, पेशेवर, और सक्षम रेंजर्स का नेटवर्क तैयार किया जा सके, जो प्राकृतिक विश्व के संरक्षक के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हों। हम प्रकृति, लोगों, और पृथ्वी की सुरक्षा के मुख्य क्षेत्रों में विस्तृत और प्रभावी टीम बनाने के लिए सबसे आगे आकर उनकी मदद करते हैं। हमारा समयबद्ध समर्थन दुनिया भर के रेंजर्स को पहचान, संसाधनों और प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देता है। www.ursa4rangers.org

इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन (IRF)

IRF की स्थापना 31 जुलाई 1992 को ब्रिटेन के पीक नेशनल पार्क में हुई थी। IRF दुनिया भर के रेंजर्स को विश्व की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने में अपनी सफलताओं और विफलताओं को साझा करने और उन देशों से सूचना और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है जहां संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन को जनता और सरकार का समर्थन मिलता हो, उन देशों में जिनमें इन्हें कम समर्थन मिलता है। राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय संस्थाओं के 165 रेंजर संघ IRF से जुड़े हैं। www.internationalrangers.org

मानक का संकलन: डैनियल ब्लैकबर्न, डायरेक्टर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन राइट्स (ICTUR)।

रेंजर की काम की स्थिति पर URSA वर्किंग ग्रुप: मिशेल अनाग्नोस्टू (यूनिवर्सिटी ऑफ वॉटरलू), मोनिका आल्वारेज मालविडो (इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन), माइक एपल्टन (री:वाइल्ड), एंड्र्यू कैम्बेल (गेम रेंजर्स एसोसिएशन ऑफ अफ्रीका), क्रिस गैलियर्स (अंतरराष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन), वर्जिनिया गन (यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो), कारा मार्शल (बुश गार्डन्स), डू मैकवे (WWF), विलियम मोरेटो (यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा), डोमिनिक नूम (इंटरनेशनल एंटी पोर्चिंग फाउंडेशन), रोहित सिंह (WWF), जेम्स स्लेड (री:वाइल्ड), ओल्गा बीगस (यूनिवर्सल रेंजर सपोर्ट एलायंस)।





संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र रेंजर्स कन्वेंशन

रेंजर के रोजगार और काम की स्थितियों के लिए वैश्विक मानक

इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन (IRF) और यूनिवर्सल रेंजर सपोर्ट एलायंस (URSA) ने रेंजर के रोजगार और काम करने की स्थितियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक का ड्राफ्ट तैयार किया है। मानक के विकास का नेतृत्व एक अंतरराष्ट्रीय श्रम अधिकारों के विशेषज्ञ ने किया है, जो URSA वर्किंग ग्रुप के सहयोग से किया गया है। यह नया मानक विश्वभर में रेंजर्स की काम की वर्तमान स्थिति और रोजगार के मौजूदा मूल्यांकनों पर और अन्य व्यवसायों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा विश्व स्तर पर स्थापित मानकों पर आधारित है।

यह मानक काम और रोजगार की न्यूनतम सामान्य शर्तों को निर्धारित करता है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में काम करने वाले रेंजर्स के लिए लागू होनी चाहिए। इस मानक को सार्वभौमिक बनाने का उद्देश्य है, पर यह समझा जाता है कि इसे लागू करने की विशेषताएं स्थानीय संदर्भों, खासकर से संबंधित रेंजर्स के काम, राष्ट्रीय श्रम कानूनों और रेंजर नियोक्ता की प्रणालियों और प्रक्रियाओं से प्रभावित होंगी।

मानक का उपयोग चार मुख्य तरीकों से किया जा सकता है:

1. वर्तमान काम और रोजगार की स्थिति की प्रचुरता का मूल्यांकन करने के लिए रेंजर्स, रेंजर संघ, सरकार, नियोक्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक मानदंड के तौर पर।
2. एक स्वीकृत मानक तक काम करने और रोजगार की स्थिति को अपग्रेड करने के लिए नियोक्ताओं और सरकार के लिए एक सहायता के तौर पर
3. दुनिया भर में रेंजर्स और रेंजर संघों के लिए अपने काम को बढ़ावा देने और बेहतर परिस्थितियों के लिए समर्थन करने के आधार के तौर पर।
4. काम पर रेंजर्स के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके काम को सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक ILO इंस्ट्रूमेंट के लिए केस बनाने के लिए IRF और अन्य रेंजर प्रतिनिधि संगठनों के लिए एक आधार के तौर पर

ड्राफ्ट स्टैंडर्ड का पूरा विस्तृत टेक्स्ट श्रम मानकों के विशेष फॉर्मेट में बनाया गया है और www.ursa4rangers.org पर उपलब्ध है। इस दस्तावेज में उन मुख्य क्षेत्रों का संक्षिप्त अवलोकन और सारांश है जिन पर चर्चा की गई है। पूरे ड्राफ्ट स्टैंडर्ड को प्रामाणिक टेक्स्ट माना जाना चाहिए और विवरण के लिए परामर्श किया जाना चाहिए।

मानक का सारांश

I. उद्देश्य, विस्तार और तार्किकता

यह मानक रैंजर्स के काम को पहचानता है और यह पुष्टि करता है कि रैंजर का काम अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों द्वारा संरक्षित है, और 2016 IUCN कांग्रेस की सिफारिश पर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें रैंजर्स के लिए अधिक औपचारिक रोजगार और बेहतर करियर पाथ की मांग की गई है।

यह मानक रैंजर का काम संगठित करने वाली गतिविधियों के दायरे और प्रकार की रूपरेखा को तैयार करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि काम पर रैंजर्स द्वारा अलग-अलग जोखिमों का सामना करने के लिए उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

जबकि मानक का मुख्य ध्यान औपचारिक तौर पर नियोजित कर्मचारियों पर है, लेकिन वो यह भी मानता है कि कई रैंजर स्वयंसेवकों के तौर पर और समुदाय और स्वदेशी अधिकारियों के तौर पर 'अनौपचारिक' तरीके से काम करते हैं। यह 'गैर-आधिकारिक क्षेत्र' के लिए पर्याप्त कार्य परिस्थितियों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता का विशेष संदर्भ देता है।



II. प्रशिक्षण

- सभी रैंजर्स को बुनियादी क्षमताओं और अन्य प्रासंगिक विषयों पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें अधिकारों पर आधारित प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन पर प्रशिक्षण, रोजगार के नियम, डी-एस्केलेशन तकनीक, बल का न्यूनतम उपयोग, स्वास्थ्य और सुरक्षा और फायरआर्म का उपयोग, जहां लागू हो, शामिल है।
- प्रशिक्षण को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, और रैंजर्स को केवल उन कामों के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।



III. कार्यस्थल पर अधिकार

- सभी रैंजर्स को एक औपचारिक अनुबंध या रोजगार की शर्तों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए जो स्पष्ट तौर पर और सही रूप से उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और रोजगार की शर्तों को दर्शाता है।
- सभी रैंजर्स को नियमित रूप से और निरंतर वेतन मिलना चाहिए, जो राष्ट्रीय न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, और व्यापक तौर पर देश में अन्य समान कार्यबल (जैसे, फायरफाइटर, पुलिस, नर्सिंग) के समान होना चाहिए। वेतन की दरें परफॉरमेंस और सर्विस की अवधि के आधार पर बढ़नी चाहिए।
- सभी रैंजर्स को वार्षिक अवकाश का भुगतान मिलना चाहिए (या बदले में वेतन दिया जाना चाहिए) जिसमें अनुबंध के अंत में यह बकाया शामिल हो।



IV. कार्यस्थल पर उत्पीड़न और भेदभाव

- सभी रेंजर्स के साथ वेतन, ट्रेनिंग, कर्तव्यों या अन्य कारकों के मामले में कार्यस्थल पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- सभी रेंजर्स को दुर्व्यवहार, हिंसा और उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए।
- रेंजर्स के रिप्रोडक्टिव अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
- सभी रेंजर्स को आंतरिक और बाहरी कार्य शिकायत प्रक्रियाओं तक पहुंच मिलनी चाहिए।



V. आवास, उपकरण और जीविका

- सभी रेंजर्स को पर्याप्त आवास, सुविधाएँ और जीविका के साधन और उनकी सहमति से पहचानी जाने वाले उपयुक्त उपकरण का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए।
- सभी रेंजर्स के पास शिकायत दर्ज करने और इस आवश्यकता का अनुपालन न करने की सूचना देने के लिए मैकेनिज़्म तक पहुंच होनी चाहिए।

यह मानक काम पर रेंजर्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य के सुधार तथा संरक्षण के लिए यह ध्यान में रखते हुए व्यापक रूपरेखा तैयार करता है कि कई रेंजर्स के काम में नियमित रूप से महत्वपूर्ण जोखिम शामिल हैं।

राज्यों को यह करना चाहिए (संबंधित संगठनों के परामर्श से):



VI. कार्यस्थल पर बचाव, स्वास्थ्य और सुरक्षा

- रेंजर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करें, जिसमें दुर्घटनाओं, बीमारी और काम से संबंधित जोखिम और ट्रेनिंग शामिल हों, और काम की सुरक्षित प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।
- नीति में स्पष्ट तरीके से यह दर्शाना चाहिए कि रेंजर का उपयुक्त काम क्या है और संघर्ष की स्थितियों में वास्तविक लड़ाकों के रूप में रेंजर्स की अनुचित तैनाती के खिलाफ प्रतिबद्धताओं को शामिल करना चाहिए।
- रेंजर्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार एक राज्य अधिकारी नियुक्त करें। प्राधिकरण को यह करना चाहिए:
 - सुनिश्चित करें कि नियोक्ता उचित प्रक्रियाओं, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण को स्वीकार करते हैं।
 - उल्लंघन या गंभीर जोखिम के मामलों में जुर्माना लगाने और काम से हटाने की शक्ति होनी चाहिए।

नियोक्ताओं को यह करना चाहिए:

- जोखिम का मूल्यांकन करना, ज्ञात जोखिमों को कम करने के लिए काम करना, नौकरी से संबंधित नीति, सुरक्षित उपकरण और सुरक्षा पर प्रशिक्षण देना (यदि उपयुक्त हो तो हथियार की ट्रेनिंग सहित)। रैंजर्स या उनके प्रतिनिधि को जोखिम मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए।
- जोखिम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काम के घंटों को सीमित और नियंत्रित करें।
- असामान्य जोखिमों के एक्सपोजर को कम करें, करीबी और गंभीर खतरे के मामले में चल रहे काम को रोक दें, और प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आपातकालीन सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि सुरक्षा की जानकारी रैंजर्स को दी जाती है और वो उसे समझ गए हों, यह जानकारी काम शुरू करने से पहले दी जानी चाहिए।

रैंजर्स को यह करना चाहिए :

- सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों का पालन करें, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जोखिम में कमी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं और सुपरवाइज़रों के निर्देशों का पालन करें। जोखिम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काम के घंटों को सीमित और नियंत्रित करें।
- उन्हें खतरनाक स्थितियों और अत्यधिक जोखिम से खुद को बचाने का अधिकार है जो अपेक्षित कर्तव्यों, प्रशिक्षण और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अपने परिभाषित दायरे से परे हैं।



VII. कार्यस्थल पर दुर्घटना या चोट के लिए बीमा और मुआवजा

- सभी रैंजर्स को घातक और गैर-घातक व्यावसायिक चोटों, बीमारियों और काम से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के लिए पर्याप्त बीमा या सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए, जो देश में अन्य समान कार्यबल (जैसे फायरफाइटर, पुलिस, नर्सिंग) के बराबर है।
- सभी रैंजर्स को कम से कम देश के अन्य श्रमिकों के बराबर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।



VIII. श्रम निरीक्षण

- जिम्मेदार अधिकारियों को श्रम निरीक्षण की एक पद्धति बनानी चाहिए।



IX. सामाजिक सुरक्षा

- सभी रैंजर्स को कम से कम देश के अन्य श्रमिकों के बराबर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।